दिनाक 14.01.2021	
प्रेस विज्ञप्ति–14/21	

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद बलिया/थाना कोतवाली</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,**
- **01 अवैध पिस्टल, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस,**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 14.01.2021 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर काजीपुर रेलवे क्रासिंग के पास मोटर साइकिल सवार बदमाशों की घेराबन्दी की गयी, तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत फायरिंग कर दी, पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ पुलिस कार्यवाही के दौरान जिला कारागार से फरार 50 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित अपराधी बेचूराम घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अपराधी मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अवैध पिस्टल, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बलिया व मऊ के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट, हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 30 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त दिनॉकः 05.01.2021 को जिला कारागार बलिया से फरार हो गया था। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली बलिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0–05/2021 धारा 224 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली बलिया पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :–

बेचूराम निवासी बिगहि थाना बॉसडीह रोड़ जनपद बलिया।

बरामदगीः–

1–01 अवैध पिस्टल , 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस,

2– 01 मोटर साइकिल बरामद।

जनपद आगरा/थाना सदर

- **लूट/चोरी की घटना का अनावरण,**
- **20–20 हजार रूपये के तीन पुरस्कार घोषित अपराधियों सहित 06 अपराधी गिरफ्तार,**
- **चोरी के लगभग 10 लाख रूपये कीमत के सोने व चॉदी के आभूषण,**
- **63 हजार रूपये नगद,**
- **02 चोरी के मोबाइल फोन,**
- **चोरी की 02 मोटर साइकिल,**
- **04 अवैध तमंचे, 01 अवैध पोनिया, 11 जीवित, 02 खोखा कारतूस,**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 13.01.2021 की रात्रि को थाना सदर, हरीपर्वत, व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशो ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। बदमाशों द्वारा की गयी फायरिंग में एक आरक्षी घायल हो गये । पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अपराधी लंगा उर्फ सुनील उर्फ लाला उर्फ राजू व बदमाश राममोहन घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया तथा विभिन्न स्थानो सें एक अन्य पुरस्कार घोषित अपराधी नेतराम उर्फ नेता सहित तीन अन्य अपराधियों केशव , जितेन्द्र उर्फ चीता,

रमेश कालिया को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के लगभग 10 लाख रूपये कीमत के सोने व चॉदी के आभूषण, 63 हजार रूपये नगद, 02 चोरी के मोबाइल फोन, चोरी की 02 मोटर साइकिल, 04 अवैध तमंचे, 01 अवैध पोनिया, 11 जीवित, 02 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध जनपद आगरा के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, हत्या, हत्या का प्रयास, गुण्डा एक्ट, आर्म्स एक्ट, एन0डी0पी0एस0 आदि के अभियुक्त 1—राममोहन के विरूद्ध 30 अभियोग, अभियुक्त 2—नेतराम के विरूद्ध 16 अभियोग, अभियुक्त 3—लंगा उर्फ लाला उर्फ सुनील उर्फ राजू के विरूद्ध 11 अभियोग, अभियुक्त 4—केशव उर्फ नेहनू के विरूद्ध 08 अभियोग, अभियुक्त 5—रमेश कालिया व जितेन्द्र उर्फ चीता के विरूद्ध कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से बरामद माल थाना ताजगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0—817/2020 , मु0अ0सं0—886/2020, मु0अ0सं0—833/2020 अन्तर्गत धारा 457/380 भादवि तथा थाना मलपुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0—124/2020 धारा 457/380 भादवि, थाना सदर पर पंजीकृत मु0अ0सं0—717/2020 धारा 457/380 भादवि से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सदर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त :—</u>

1—लंगा उर्फ लाला उर्फ सुनील उर्फ राजू निवासी नगला भिक्की थाना शमशाबाद जनपद आगरा।

2—नेतराम उर्फ नेता निवासी नगला कदम थाना फतेहाबाद जनपद आगरा।

3—राममोहन निवासी नैनाना ब्राहम्ण थाना सदर जनपद आगरा हाल निवासी मलहैला विजय थाना डौकी जनपद आगरा।

4—केशव उर्फ नेहनू निवासी अमरपुरा थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा।

5–जितेन्द्र उर्फ चीता निवासी सेमरी का ताल थाना ताजगंज जनपद आगरा।

6–रमेश कालिया निवासी शारदा विहार राहुलनगर थाना जगदीशपुरा जनपद आगरा।

बरामदगीः–

1– चोरी के लगभग 10 लाख रूपये कीमत के सोने व चॉदी के आभूषण,

2–63 हजार रूपये नगद,

3– 02 चोरी के मोबाइल फोन,

4– चोरी की 02 मोटर साइकिल,

5–04 अवैध तमंचे,

6–01 अवैध पोनिया, 11 जीवित, 02 खोखा कारतूस,

7–01 मोटर साइकिल आदि बरामद।

जनपद सिद्धार्थनगर/थाना कोतवाली

- **चोरी की घटना का अनावरण,**
- **04 अपराधी गिरफ्तार,**
- **चोरी के लगभग 05 लाख रूपये कीमत के सोने व चॉदी के आभूषण,**
- **56 हजार 500 रूपये नगद,**
- **डेढ़ किलो अवैध गांजा,**
- **2,400 प्रतिबन्धित नशीली गोलिया,**
- **01 अवैध तमंचा मय कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 13.01.2021 की रात्रि को थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चोरी की घटना का अनावरण करते हुये जमुआर नाला पुल के पास से 04 अभियुक्तो 1–असलम 2–मो0 रईस 3–राजाराम उर्फ गोठे 4–राजेश कुमार को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/

निशादेही पर चोरी के लगभग 05 लाख रूपये कीमत के सोने व चॉदी के आभूषण 56 हजार 500 रूपये नगद, डेढ़ किलो अवैध गांजा, 2,400 प्रतिबन्धित नशीली गोलिया, 01 अवैध तमंचा मय कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जनपद सिद्धार्थनगर, बस्ती के विभिन्न थानो पर चोरी, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के अभियुक्त असलम के विरूद्ध 18 अभियोग, मोहम्मद रईश के विरूद्ध 19 अभियोग पंजीकृत है तथा बरामद रूपये व समान मु0अ0सं0—317/2020 धारा 457/380/411 भादवि मु0अ0सं0—341/2020 धारा 457/380/411 भादवि, मु0अ0सं0—18/2021 धारा 457/380/411 भादवि व मु0अ0सं0—25/2021 धारा 457/380 भादवि से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त :—</u>

1—असलम निवासी खजुरिया थाना व जनपद सिद्धार्थनगर।

2—मो0 रईस निवासी खजुरिया थाना व जनपद सिद्धार्थनगर।

3—राजाराम उर्फ गोठे निवासी खजुरिया थाना व जनपद सिद्धार्थनगर।

4—राजेश कुमार निवासी बेलसड़ थाना व जनपद सिद्धार्थनगर।

<u>बरामदगीः—</u>

1—चोरी के लगभग 05 लाख रूपये कीमत के सोने व चॉदी के आभूषण

2—चोरी के 56 हजार 500 रूपये नगद,

3 डेढ़ किलो अवैध गांजा,

4—2,400 प्रतिबन्धित नशीली गोलिया,

5—01 अवैध तमंचा मय कारतूस आदि बरामद।

जनपद बागपत/थाना कोतवाली

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 14.01.2021 को थाना कोतवाली बागपत पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी विशाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त कोतवाली बागपत पर पंजीकृत मु0अ0सं0—817/2020 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध मे थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :—

विशाल निवासी मोहल्ला देशराज बाल्मीकि बस्ती कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी :—

01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

जनपद मैनपुरी/थाना दन्नाहार

- **गोदाम में हुई लूट की घटना का अनावरण,**
- **16 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **लूट के लगभग 10 लाख रूपये कीमत के बिजली के समान,**
- **01 रायफल 315 बोर,**
- **02 बन्दूक 12 बोर, 04 जीवित कारतूस,**
- **01 कन्टेनर,**
- **01 दस टायरा ट्रक, 01 स्विफ्ट डिजायर कार आदि बरामद**

दिनांक 13/14.01.2021 की रात्रि थाना दन्नाहार व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर यू0पी0पी0सी0एल0 गोदाम में हुई लूट/डकैती

की घटना का अनावरण करते हुये विभिन्न स्थानो से पुलिस कार्यवाही में 16 अभियुक्तो 1—आकाश 2—दीपांशु 3—निखिल 4—शिवम्पाल 5—अंकित 6—अरविन्द 7—शभम् 8—शिवम् 9—अजय 10—विकास 11—नरेन्द्र 12 समयदीन 13—युनुस 14—प्रहलाद 15—खुर्शीद 16—राजेश को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के लगभग 10 लाख रूपये कीमत के बिजली के समान, 01 रायफल 315 बोर, 02 बन्दूक 12 बोर, 04 जीवित कारतूस, 01 कन्टेनर, 01 दस टायरा ट्रक, 01 स्विफ्ट डिजायर कार आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 06.01.2021 की रात्रि साउथ ईस्ट सिरसागंज रोड़ मैनपुरी पॉवर गोदाम (यू0पी0पी0सी0एल0) पर हुई लूट की घटना के सम्बन्ध में थाना दन्नाहार पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना दन्नाहार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त :—</u>

1—आकाश निवासी सराय दीयानत थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।

2—दीपांशु निवासी सराय दीयानत थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।

3—निखिल निवासी सराय दीयानत थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।

4—शिवम्पाल निवासी सराय दीयानत थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।

5—अंकित निवासी सराय दीयानत थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।

6—अरविन्द निवासी सराय दीयानत थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।

7—शभम् निवासी लुहन्ना थाना सिविल लाइन इटावा।

8—शिवम् निवासी कुल्लूपुर थाना कोतवाली औरैया।

9—अजय निवासी कटरा तेहमहमूद खान थाना कोतवाली इटावा।

10—विकास निवासी मोहल्ला लोधी जैन मंदिर तकिया थाना कोतवाली इटावा।

11—नरेन्द्र निवासी मोहल्ला लोधी जैन मंदिर तकिया थाना कोतवाली इटावा।

12 समयदीन निवासी झिवाना थाना चौपनकी जनपद अरवल, राजस्थान।

13–युनुस निवासी भीमनगर थाना एन0ई0बी0 जिला अलवर, राजस्थान।

14–प्रहलाद निवासी बिचगॉव थाना लक्ष्मण जनपद अलवर, राजस्थान।

15–खुर्शीद निवासी झिवाना थाना चौपनकी जनपद अरवल, राजस्थान।

16–राजेश निवासी बलीपुर थाना नगला खंगर जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगीः–

1–गोदाम से लूटे गये लगभग 10 लाख रूपये कीमत के बिजली के समान,

2–01 रायफल 315 बोर,

3–02 बन्दूक 12 बोर, 04 जीवित कारतूस,

4– 01 कन्टेनर, 01 दस टायरा ट्रक, 01 स्विफ्ट डिजायर कार आदि।

जनपद हाथरस/थाना सादाबाद

- **04 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार,**
- **चोरी की 25 मोटर साइकिले,**
- **23 काटी गयी मोटर साइकिलों के पार्टस,**
- **02 अवैध तमंचे, 04 जीवित, 01 खोखा कारतूस,**
- **05 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 13.01.2021 को थाना सादाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 04 वाहन चोरो 1–नेत्रपाल 2–मनीष 3–मनोज 4–सौरभ को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 25 मोटर साइकिले, 23 काटी गयी मोटर साइकिलों के समस्त पार्टस, 02 अवैध तमंचे, 04 जीवित, 01 खोखा कारतूस व 05 मोबाइल फोन आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना सादाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त :–</u>

1–नेत्रपाल निवासी फूलपुर थाना बल्देव जनपद मथुरा।

2–मनीष निवासी नगला भोलू थाना सहफउ जनपद हाथरस।

3–मनोज निवासी नगला विधि थाना बल्देव जनपद मथुरा।

4–सौरभ निवासी बिसवार थाना सादाबाद जनपद हाथरस।

<u>बरामदगीः–</u>

1–चोरी की 25 मोटर साइकिले,

2– 23 काटी गयी मोटर साइकिलों के समस्त पार्टस,

3–02 अवैध तमंचे, 04 जीवित, 01 खोखा कारतूस,

4–05 मोबाइल फोन आदि ।

<u>जनपद बलिया/थाना बासडीह (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा)</u>

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट बलिया द्वारा थाना बासडीह पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त बिसर्जन उर्फ छोटक को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

––––––––